

293

पत्रांक : 12/एस-महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत-54/2017...2898/दि०

1

Gen Du 932
19/11/19

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक : 01.11.19

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2019 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका- 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/04/2019-P&PW(D) दिनांक 21.10.2019 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्तमान दर को 12% (बारह प्रतिशत) से बढ़ाकर 17% (सतरह प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से मूल पेंशन का 17% (सतरह प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जायेगा"।


4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2866/वि० दिनांक 25.10.2019 के क्रम में दिनांक 25.10.2019 की बैठक के मद सं० 22 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Kashan
अधीन

(के. के. खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।



Gen-1
L. 4437

30991
Circulated for
All Section
19/11/19